

करना पड़ेगा। इस विषय पर मेरा निवेदन यह है कि वस्त्र उद्योग निगम की जो कार्य प्रणाली है या इस निगम के द्वारा संचालित मिलों की जो कार्य प्रणाली है, उस के कारण करोड़ों रुपयों का घाटा इन मिलों में हो रहा है। उसे ठीक किया जाये अन्यथा हानि निरन्तर बढ़ेगी। इसलिए सदन इस विषय पर विचार करे और इस मद को सदन के विचार के लिए अगले सप्ताह ही कार्य सूची में जोड़ा जाए।

एक और विषय है जिस का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। चीनी के बारे में जो पालिसी या नीति बताई गई है, उस में गन्ना उत्पादकों के हितों के संरक्षण का कोई वर्णन नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है। उन को राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित मूल्यों और केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों का निश्चित रूप से निर्धारित अवधि में पेमेंट किया जाए, इस तरह का उल्लेख वक्तव्य में नहीं है। आज गन्ना उत्पादक अत्यन्त दुःखी व चिंतित हैं। उसे कोई संरक्षण नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस विषय को अगले सप्ताह में होने वाली कार्यवाही में डाला जाए जिस से सदन में उस पर विचार किया जा सके।

के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निवेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यक्षीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मैंने जो प्रश्न किया है, उस का मंत्री जी जवाब दें। सदन में हमें उस का जवाब चाहिए। ऐसी परम्परा यहां रही है।

MR. SPEAKER: Your suggestion will be considered by the Business Advisory Committee.

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम ने सदन में सवाल पूछा है कि मंत्री महोदय यह बिल कब लाना चाहते हैं, यह सदन में बतावें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पहले भी सदन में मंत्री जी जवाब देते रहे हैं। अगर आप आफिस से पूछ लें तो आप को इस बात का पता लग जाएगा कि जवाब देने की परम्परा यहां रही है।

MR. SPEAKER: He cannot give you the reply. He can only send it back to the Business Advisory Committee for consideration. He is not deciding about the allotment of time.

12.06 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE CARDAMOM BOARD

बाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं श्री आरिफ बेग की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

“कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग)

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और सारे देश से इस का सम्बन्ध है और सरकार उस पर विचार कर चुकी है। मैं समझता हूं कि गुप्त मतदान के बारे में सरकार विचार कर चुकी है। इसलिए मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे सदन को यह बताएं कि वे इस बिल को कब लाना चाहते हैं। इस बात की घोषणा वे आज करें कि वे इस बिल को इस सेशन में लावेंगे या नहीं ?

MR. SPEAKER: This is not the procedure.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): My statement was about Government Business. I would like to submit that in the course of the next few days, there will be ample opportunities for the hon. Members of this House to discuss the Demands for Grants of the various Ministries when such matters, as have been referred to by the hon. Members, can be raised. If the hon. Members want to raise them as separate issues, then the matter will have to go to the Business Advisory Committee for the allotment of time. My submission, Sir, as the hon. Members know, is about Government's business for the next week.

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3) (c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

12.07 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS
(GENERAL), 1975-76

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): I rise to present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1975-76.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR
GRANTS (GENERAL), 1977-78

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): I rise to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1977-78.

12.7½ hrs.

RESERVE BANK OF INDIA
(AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934."

The motion was adopted.

SHRI H. M. PATEL: I introduce the Bill.

12.08 hrs.

HIGH DENOMINATION BANK
NOTES (DEMONETISATION) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide in the public interest for the demonetisation of certain high denomination bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide in the public interest for the demonetisation of certain high denomination bank

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 3-3-78.